

आशुलिपिकों का भत्ता बढ़कर एक हजार हुआ जागरण ब्यूरो, पटना : राज्य सरकार ने सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा के कर्मियों को देय भत्ता 500 रुपए से बढ़ाकर एक हजार रुपए मासिक करने का निर्णय किया है। शर्त यह कि अंग्रेजी में शार्टहैंड और टाइपिंग की राजस्व पर्षद द्वारा आयोजित परीक्षा पास की हो। 2006 में ऐसे लोगों के लिए 500 रुपए मासिक विशेष भत्ता देने का प्रावधान किया गया था। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। अगले माह यानी 1 जुलाई के प्रभाव से यह लाभ मिलेगा। आदेश में कहा गया है ऐसे उत्तीर्ण कर्मियों में से जो विभाग में अंग्रेजी में शार्टहैंड एवं टाइपिंग का काम करेंगे उन्हें संबंधित विभागीय सचिव द्वारा विशेष भत्ते की स्वीकृति दी जाएगी।

निजता नीति | सेवा की शर्तें | आपके सुझाव
इस पृष्ठ की सामग्री जागरण प्रकाशन लिमिटेड द्वारा प्रदान की गई है
कॉपीराइट © 2007 याहू वेब सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सर्वाधिकार सुरक्षित
कॉपीराइट / IP नीति